दिनांक–18.03.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए विभाग के अपर सचिव द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा कुछ महत्वपूर्ण दिशा–निदेश दिए गए:–

- सभी अभियंताओं को यह निदेश दिया गया कि ढ़लाई कार्यों में PWD Code का अनुपालन दृढ़ता से किया जाय। गुणवत्ता जाँच हेतु स्थल निरीक्षण के क्रम में लिये गये फोटोग्राफ को साईट रजिस्टर में संग्रहित कर रखा जाए।
- किसी भी निर्माण कार्य में प्रशासी विभाग द्वारा यदि अतिरिक्त कार्य कराने की मांग की जा रही हो तो उक्त कार्य का प्राक्कलन बनाकर प्रशासी विभाग से सहमति अवश्य लेना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् ही कार्य प्रारंभ कराया जाय। मौखिक आदेश के आधार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्य ना कराया जाय।
- सभी मुख्य अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जिन योजनाओं में निविदा परिमाण विपत्र की राशि से नीचे (Below) गयी हो तो उसकी गुणवत्ता जाँच पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय एवं उस कार्य का सतत् पर्यवेक्षण किया जाय।
- सभी अभियंताओं को यह निदेश दिया गया कि निर्माण कार्यों के निरीक्षण प्रतिवेदन को PMIS पर नियमित रूप से अपलोड किया जाय। निदेशक (अनुश्रवण) को यह निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में PMIS पर निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड करने से संबंधित प्रतिवेदन तैयार किया जाय।
- सभी कार्यपालक अभियंताओं को यह निदेश दिया गया कि योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति को PMIS पर नियमित रूप से प्रत्येक माह के 30 तारीख तक अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाय। यदि PMIS पर योजनाओं की स्थिति अद्यतन नहीं पायी गयी तो संबंधित कार्यपालक अभियंता का वेतन अवरूद्ध किया जा सकता है।
- सभी अभियंताओं को यह सख्त निदेश दिया गया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही विभाग द्वारा अक्षम्य है। निर्माण कार्य में निम्न कोटी की गुणवत्ता पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध कार्रवाई कर वृहद–दण्ड भी दिया जा सकता है।
- सभी कार्यपालक अभियंताओं को यह निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन समेकित रूप से करना है तथा इस संबंध में विभाग का आदेश प्राप्त करना आवश्यक है।
- सभी कार्यपालक अभियंताओं को यह निदेश दिया गया कि अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य के लिए विभाग द्वारा 2059 मद में राशि उपलब्ध करायी जाती है,

इसके उपरान्त भी बहुत सारे भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्य का प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा जा रहा है, जो नियम के विरूद्ध है। केवल नये कार्यों के प्राक्कलन ही प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विधिवत् माध्यम से भेजा जाय।

- सभी कार्यपालक अभियंताओं को यह निदेश दिया गया कि छड़ का सत्यापन किये बिना ढ़लाई का कार्य नहीं करना है तथा इसे रिकोर्ड में भी दर्ज किया जाय।
- प्रशासी विभाग द्वारा फर्नीचर का अनुमोदन करने के पश्चात ही फर्नीचर का अधिष्ठापन कार्य किया जाय।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

- प्रशासी विभाग को निदेश दिया गया कि राज्य स्तरीय बैठक में संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी या उससे उपर के पदाधिकारी को ही भेजा जाय।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

➢ विधि विभाग

- केन्द्र प्रयोजित स्कीम (CSS) से संबंधित कार्य 2026–30 तक विस्तारित किया गया है। इस संबंध में अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग ने निदेश दिया कि पूर्व से स्वीकृत योजनाओं को ससमय पूरा करना सुनिश्चित करें।

अनुपालन–सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल

- मधेपुरा जिलान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा में लॉयर्स हॉल के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को कालीकृत करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा

- दरभंगा जिलान्तर्गत केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत व्यवहार न्यायालय, दरभंगा, लहेरियासराय में 08 कोर्ट भवन (जी0+5) के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को कालीकृत करने हेतु विभाग को पत्र दिया गया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को कालीकृत करने हेतु उचित माध्यम से (अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को) पत्र देने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, दरभंगा

- पटना जिलान्तर्गत पटना उच्च न्यायालय परिसर में न्यायाधीशों, पदाधिकारियों एवं आमजनो हेतु पार्किंग, पोस्टल, बैंकिग, सूचना केन्द्र, क्रेच (Creche), रेलवे आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता हेतु बहुउद्देशीय भवन (B+G+3) का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा बताया गया कि शेष कार्य के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग को पत्र दिया गया है।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

- सीवान जिलान्तर्गत सी0जे0एम0 कोर्ट परिसर सीवान में चहारदिवारी निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीवान द्वारा बताया गया है कि अतिक्रमण के कारण कार्य बंद है। अतिक्रमण मुक्त होने के पश्चात कार्य कराया जाएगा।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा कर कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सीवान

➢ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग

- जहानाबाद जिलान्तर्गत मखदूमपुर प्रखंड में डॉ भीम राव अम्बेदकर, आवासीय विद्यालय 720 आसन वाले भवन के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को डीबार करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, जहादाबाद

- पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग फुलवारीशरीफ में डॉ भीम राव अम्बेदकर, आवासीय विद्यालय 720 आसन वाले भवन के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गर्दनीबाग द्वारा बताया गया कि कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक पर कार्यवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गर्दनीबाग

- गया जिलान्तर्गत टेकारी प्रखंड में डॉ भीम राव अम्बेदकर, आवासीय विद्यालय 720 आसन वाले भवन के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया द्वारा बताया गया कि कार्य धीमी गति से चल रहा है।

अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को कालीकृत करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन—कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया

- समस्तीपुर जिलान्तर्गत विद्यापतिनगर प्रखंड में 100 आसन वाले राज्य के कल्याण छात्रावास भवनों के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा बताया गया कि अदिनांक तक स्थल उपलब्ध नहीं है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा इस योजना को स्थगण करने हेतु आवश्यक कार्यवाई करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन—कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर

➢ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

- वैशाली जिलान्तर्गत 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को कालीकृत करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन—कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, हाजीपुर

➢ गृह (कारा) विभाग

- अरवल जिलान्तर्गत प्रस्तावित मंडल कारा के भवन निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अरवल द्वारा बताया गया कि कार्य धीमी गति से चल रहा है एवं वर्तमान में 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को कालीकृत करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन—प्रशासी विभाग

- भागलपुर जिलान्तर्गत विशेष केन्द्रीय कारागार के तीसरे सेक्टर के कैदी वाड सं0—8, 9 एवं 10 का जीर्णोद्धार कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर द्वारा बताया गया कि कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को कालीकृत करने हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन—कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर

- सहरसा जिलान्तर्गत मंडल कारा, सहरसा के चहारदीवारी के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा द्वारा बताया गया कि कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को Rescind करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा

- पूर्णियाँ जिलान्तर्गत केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ में पेरिमीटर वॉल के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है तथा कार्य दो महीने में पूर्ण हो जाएगा।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को कालीकृत करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ

- कटिहार जिलान्तर्गत 30 क्षमता का पुरूष वॉड बेरक का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार द्वारा बताया गया कि कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता को उक्त कार्य से संबंधित संवेदक को 15 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण कराने हेतु पत्र देने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार

- औरंगाबाद जिलान्तर्गत मंडल कारा, औरंगाबाद में जेल अधीक्षक का आवास का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को डीबार करने का निदेश दिया गया।

  अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद

➢ श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

- सिवान जिलान्तर्गत संयुक्त श्रम भवन, सिवान (G+3) के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान द्वारा बताया गया कि स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रशासी विभाग को पत्र देने का निदेश दिया गया है।

  अनुपालन–प्रशासी विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सिवान

➢ कला एवं संस्कृति विभाग

- नालंदा जिलान्तर्गत 620 क्षमता वाले अटल कला भवन, नालंदा के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नालंदा द्वारा बताया गया कि उक्त निर्माण कार्य हेतु जमीन पर्याप्त नहीं है। मुख्य वास्तुविद द्वारा बताया गया कि जमीन कम होने के कारण 620 क्षमता के स्थान पर 450 क्षमता वाले अटल कला भवन के निर्माण हेतु मॉडल नक्शा बनाकर प्रशासी विभाग को भेजा गया है। कार्यपालक अभियंता को इस संबंध में जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग को पत्र देने हेतु निदेश दिया गया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता को जिला पदाधिकारी से सहमति लेकर ही निर्माण कार्य कराने हेतु आवश्यक कार्य करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नालंदा

➢ ग्रामीण विकास विभाग

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय के निर्माण के क्रम में नींव ढ़लाई के दौरान विभागीय अभियंताओं को कार्य स्थल पर निश्चित रूप से उपस्थित होने का निदेश दिया गया। साथ ही साथ उक्त कार्य के विडियो/फोटो में संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया है।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय के निर्माण के क्रम में आने वाली बाधाएँ यथा जर्जर भवनों को तोड़ने का कार्य एवं कार्य स्थल पर पेड़ हटाने के कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया। कार्यपालक अभियंताओं द्वारा पेड़ हटाने हेतु निधि की मांग की गई। उक्त के संबंध में अधियाचना करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल।

➢ डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

- दरभंगा जिलान्तर्गत प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, लक्ष्मीपुर, ककोरवा, दरभंगा के नये भवन के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया है कि पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उचित माध्यम से प्रशासी विभाग को पत्र दिया गया है।

अनुपालन–प्रशासी विभाग

➢ सामान्य प्रशासन विभाग

- औरंगाबाद जिलान्तर्गत संयुक्त कार्यालय भवन (G+5) एवं कोषागार भवन (G+2) के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि कार्य धीमी गति से चल रहा है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को जल्द से जल्द कार्यों को पूरा करने के संबंध में पत्र देने का निदेश यिा गया।

अनुपालन–प्रशासी विभाग / कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा

➢ निबंधन, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग

- मोतिहारी जिलान्तर्गत अवर निबंधन कार्यालय छौरादानो में पुरूष, महिला एवं विकलांग शौचालय कॉपलेक्स के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

  अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा उक्त कार्य के संबंधित संवेदक को कालीकृत करने का निदेश दिया गया है।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, मोतिहारी

➢ पंचायती राज विभाग

- निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया है कि पंचायत सरकार भवनों से संबंधित पंचायती राज्य विभाग का **Panchayat Nischay Soft Portal** को प्रत्येक माह सही तरीके से अद्यतन किया जाय, साथ ही भवन निर्माण विभाग के **PSB (PMIS) पोर्टल** पर योजनाओं को निरंतर अद्यतन करना सुनिश्चित करें। इसे अतिआवश्यक समझा जाय। यदि इसमें कोई कठिनाई आती है तो लिखित रूप में विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि प्रशासी विभाग को इससे अवगत कराया जा सके।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल

➢ गुणवत्ता अनुश्रवण की समीक्षा

- मुख्य अभियंता (गुणवत्ता) के द्वारा बताया गया कि पूर्व में गठित उड़नदस्ता दल को रद्द कर नये उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है, जिसमें 9 असैनिक अभियंता तथा 1 विद्युत अभियंता को शामिल किया गया है। यह भी निदेश दिया गया कि राज्य में जो भी योजनाएँ चल रही है उनकी सामग्री यथा–ईंट, सीमेंट, गिट्टी (Stone Chips), छड़ (8, 10, 12, 16, 20, 25 एवं 32 MM व्यास)

को गुणवत्ता जाँच हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला, राजवंशी नगर, पटना में भेजना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल

➢ **<u>ए0सी0 / डी0सी0 विपत्र, वाद / अवमाननावाद, सेवान्त लाभ तथा विभागीय शिकायत निवारण समिति से संबंधित</u>**

- अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी प्रमंडलों में लंबित AC/DC विपत्र जिनका समायोजन किया जाना है, इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करने का निदेश दिया गया. इस हेतु किसी भी तरह के असमंजस की स्थिति को वित्त विभाग के प्रभारी पदाधिकारी डॉ0 अरूण कुमार (दूरभाष सं0–9911231821) के सहयोग से स्पष्ट किया जा सकता है।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ज्ञापांक–डी0डी0–1–विविध–49 / 05 / 2025–26(पार्ट–VII)__________ दिनांक–__________

ह0 / –

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य अभियंता (पटना),
भवन निर्माण विभाग, पटना।

ज्ञापांक–डी0डी0–1–विविध–49 / 05 / 2025–26(पार्ट–VII) 3227(अ)ऊ दिनांक– 06/4/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित प्रशासी विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

06/4/2026

मुख्य अभियंता (पटना),
भवन निर्माण विभाग, पटना।